



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 10.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 212/2023 धारा 302 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06/03/2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.खराती पुत्र अतरे, 2.सुखपाल पुत्र गजराज, 3.ओमी पुत्र हरलाल व 4.ओमवीर पुत्र प्रकाश निवासीगण ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत ने वादिया के पति ओमकुमार उम्र करीब 48 वर्ष की लाठी से पीट-पीट कर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 212/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 212/2023 धारा 302 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त ओमवीर को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 06-03-2023 को 01 अभियुक्त खराती को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ओमवीर पुत्र स्व० प्रकाश निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री संजय सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-है0का0 478 मनोज कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 506 विकास थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 10.03.2023

मारपीट करने वाले आरोपियों संजीव व प्रवीण को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 माह का साधारण कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों संजीव पुत्र सुखबीर व प्रवीण पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम ओगटी थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2010 में मारपीट की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0- 98/2010 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों संजीव व प्रवीण को दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 323 भादवि में 03 माह का साधारण कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में 03 माह का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

- 1-संजीव पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम ओगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-प्रवीण पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम ओगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 10-03-2023

थाना बिनौली पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-सूरज पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-नीरज पुत्र भीम सिंह निवासी बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 313 सत्यवीर शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 413 सहन्सरपाल थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 10.03.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 66/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 506 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध बलकटी व एक मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 09.03.2023 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महेशपुर चौपडा में एक व्यक्ति बलकटी हाथ में लेकर किसी व्यक्ति की हत्या करने की फिराक में है । इस सूचना पर तत्काल थाना सिंघावली अहीर पुलिस मौके पर पहुंची तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध बलकटी व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 66/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 506 भादवि पंजीकृत किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र जयभगवान निवासी ग्राम महेशपुर चौपडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपता

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध बलकटी
- एक मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री चरन सिंह थाना सिंघावली अहीर ।

2-है0का0 378 बलराज सिंह थाना सिंघावली अहीर ।

3-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक-10.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक मोटर साईकिल अपाचे बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक मो0सा0 अपाचे न0 UP12BY3202 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सूरज उर्फ कमल पुत्र रामपाल निवासी गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक मो0सा0 अपाचे न0 UP12BY3202 बरामद।

अभियुक्त सूरज उर्फ कमल का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 996/17 धारा 120बी /342/392 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 1146/17 धारा 342/392 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 282/18 धारा 147/148/149/302 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 259/18 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 622/18 धारा 120बी/342/395/412 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0 794/18 धारा 414/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

7-मु0अ0सं0 1474/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

8-मु0अ0सं0 101/21 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।

9-मु0अ0सं0 102/21 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।

10-मु0अ0सं0 140/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

11-मु0अ0सं0 187/21 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

12-मु0अ0सं0 88/23 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-है0का0 209 मनोज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

3-का0 455 विजय सैनी थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 10.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 963/22 धारा 307/504/506
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.10.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी नेमपाल पुत्र दयाचन्द निवासी बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.हरेन्द्र उर्फ योगेन्द्र बिट्टू पहलवान पुत्र ओमप्रकाश, 2.विकास पुत्र शीशपाल निवासीगण ग्राम बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत व एक



अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई चक्रेश पाल के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 963/22 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 963/22 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हरेन्द्र उर्फ योगेन्द्र बिट्टू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 963/22 धारा 307/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 395/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना खेकडा बागपत जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 459/21 धारा 306 भादवि थाना खेकडा बागपत जनपद बागपत ।

- 4-मु0अ0स0 139/15 धारा 25 आर्म्स अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
5-मु0अ0स0 759/21 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)(घ) sc/st Act थाना कोतवाली
बागपत जनपद बागपत ।
6-मु0अ0स0 778/22 धारा 504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमरदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
2-है0का0 506 मंजीत कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
3-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 10.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 198/23 धारा 147/148/452/323 भादवि
से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.03.23 को थाना बडौत पर वादी श्री रोहित पुत्र श्री सत्यपाल निवासी ग्राम कौताना थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.रविन्द्र पुत्र जयप्रकाश, 2.मोहित उर्फ काला पुत्र राकेश, 3.दिनेश पुत्र धर्मपाल, 4.सोनू पुत्र धर्मपाल व 02 महिला निवासीगण ग्राम कौताना थाना बडौत ने उसके घर में घुसकर लाठी-डण्डो से उसके साथ मारपीट की । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 198/23 धारा 147/148/452/323 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 198/23 धारा 147/148/452/323 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम कौताना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना बडौत ।
- 2-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत ।
- 3-है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 10.03.2023

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 197/23 धारा 147/323/354ख/504/308 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 197/23 धारा 147/323/354ख/504/508 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:

1-गौतम पुत्र नरसिंह निवासी ग्राम अलावलपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-पोनी पुत्र बीर सिंह निवासी ग्राम अलावलपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना बडौत ।

2-का० 800 घनेन्द्र सिंह थाना बडौत ।

3-का० 949 विकास तालान थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 10.03.2023

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 02/23 धारा 147/186/353/447
भादवि तथा मु०अ०सं० 09/23 धारा 147/148/307/323/504/506/120B भादवि
व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.03.2023 को थाना बिनौली पर श्री प्रमोद पुत्र सगवा निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली ने सूचना दी कि अभियुक्त 1.सुनील पुत्र चरणे, 2.काले पुत्र चरणे, 3.जयनरेश पुत्र गजराज, 4.संजय पुत्र रमेश व एक महिला



निवासीगण ग्राम दौझा थाना बिनौली द्वारा एक राय होकर लाठी-डण्डो व धारदार हथियार से लैस होकर वादी की पत्नी व सास के साथ जान से मारने की नियत से

मारपीट की गई, जिससे वादी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई तथा वादी की पत्नी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु०अ०सं० 09/23 धारा 147/148/307/323/504/506/120B भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 02/23 धारा 147/186/353/447 भादवि तथा मु०अ०सं० 09/23 धारा 147/148/307/323/504/506/120B भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बिनौली पुलिस द्वारा दिनांक 04-02-2023 को एक अभियुक्त काले को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील पुत्र चरणे निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री सतीश चन्द गंगवार थाना बिनौली।
- 2- है०का० 546 विपिन कुमार थाना बिनौली।
- 3- का० 343 पुरुषोत्तम थाना बिनौली।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 10.03.2023

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

धर्मेन्द्र पुत्र शिवचरण निवासी लौहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-का0 180 सन्जू कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 1104 चक्रपाल थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 10.03.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 56/2023 धारा 147/148/149/452/352/323/504/506/307 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक फरसा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.03.2023 को थाना रमाला पर वादी श्री रामकिशन पुत्र सुलतान सिंह निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.प्रकाश पुत्र इकबाल, 2.हरीओम पुत्र इकबाल, 3.छोटू पुत्र नवाब, 4.भूपेन्द्र पुत्र



इकबाल, 5.इकबाल पुत्र भवर सिंह, 6.अंकुल पुत्र नवाब व एक महिला निवासीगण ग्राम बरवाला थाना रमाला द्वारा वादी के घर में घुसकर लाठी-डण्डो व फरसे से वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 56/2023 धारा 147/148/149/452/352/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 307 भादवि की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 56/2023 धारा 147/148/149/452/352/323/504/506/307 भादवि

से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 फरसा बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना रमाला पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-प्रकाश पुत्र इकबाल निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-हरीओम पुत्र इकबाल निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-भूपेन्द्र पुत्र इकबाल निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुनहरा सिंह थाना रमाला।
- 2-का0 180 चक्रपाल थाना रमाला।
- 3-का0 180 सन्जू कुमार थाना रमाला।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 10.03.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 342/22 धारा 353/332/354/506/427 भादवि व 3(क) उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्य हिंसा क्षति निवारण अधिनियम व 15(2), 15(3) आईएमसी एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

सांक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.07.2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री सुधीर एम एस सीएचसी पिलाना जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.फुरकान, 2.सुधीर गन्धर्व व कुछ अज्ञात युवकों द्वारा मेडिकल टीम के साथ हमला करते हुये सरकारी कार्य में वाधा डाली । महिला स्टाफ नर्श के साथ अभद्र व्यवहार किया व जानसे मारने की



धमकी दी तथा अभिलेखों को क्षति पहुचाई । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 342/22 धारा 353/332/354/506/427 भादवि व 3(क) उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्य हिंसा क्षति निवारण अधिनियम व 15(2), 15(3) आईएमसी एक्ट पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 342/22 धारा 353/332/354/506/427 भादवि व 3(क) उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्य हिंसा क्षति निवारण अधिनियम व 15(2), 15(3)

आईएमसी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुधीर गन्धर्व पुत्र जयभगवान सिंह निवासी पंचशील कालोनी सराय मोड थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेशचन्द्र शर्मा थाना सिंघावली अहीर ।

2-का0 48 आकाश थाना सिंघावली अहीर ।

3-का0 1076 विकास यादव थाना सिंघावली अहीर ।

4-का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 10.03.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 67/23 धारा
354/323/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 67/23 धारा 354/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नरेन्द्र पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम लुहारा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेशचन्द्र शर्मा थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-का0 48 आकाश थाना सिंघावली अहीर ।
- 3-का0 1076 विकास यादव थाना सिंघावली अहीर ।
- 4-का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर ।